

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
सरकार के अपर सचिव-सह-  
मुख्य निगरानी पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,  
कृषि विभाग/भवन निर्माण विभाग/सहकारिता विभाग/  
शिक्षा विभाग/ऊर्जा विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/  
वाणिज्य-कर विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/  
स्वास्थ्य विभाग/गृह विभाग/गृह (आरक्षी) विभाग/  
गृह (कारा) विभाग/उद्योग विभाग/श्रम संसाधन विभाग/  
पंचायती राज विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/पथ निर्माण विभाग/  
ग्रामीण विकास विभाग/परिवहन विभाग/  
नगर विकास एवं आवास विभाग/जल संसाधन विभाग/  
बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना ।  
प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/सारण/मुंगेर एवं मगध, गया ।  
जिला पदाधिकारी, भागलपुर/लखीसराय/नवादा एवं सारण ।

पटना-15, दिनांक 24 मार्च, 2014

विषय :- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के काण्डों में वर्ष-2006 से 2013 तक सजायापता अभियुक्तों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना द्वारा दिनांक 20.03.14 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कुल-104 काण्डों में वर्ष-2006 से वर्ष-2013 तक कुल-146 सजायापता अभियुक्तों की सूची उपलब्ध करायी गयी है जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया गया है । अनुरोध है कि विभाग की वेवसाईट से उक्त सूची डाउनलोड कर सजायापता सरकारी सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें ।

ज्ञातव्य है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-20 के अनुसार न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर सरकारी सेवक को प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन का अवसर देते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा शास्ति अधिरोपित किया जा सकता है ।

अनु.-यथोक्त (कुल पृष्ठ-09) ।


विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव-सह-  
मुख्य निगरानी पदाधिकारी ।

कृ.पृ.उ. 2/-

ज्ञापांक-13/विविध-01-04/2014सा.....108...../पटना-15, दिनांक मार्च, 2014


प्रतिलिपि :- निगरानी विभाग, बिहार/निगरानी (अन्वेषण) ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-13/विविध-01-04/2014सा.....108...../पटना-15, दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि :- आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को इस आशय से प्रेषित कि इसे सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के वेवसाईट पर डालने की कृपा करें ।



सरकार के अपर सचिव ।



**वर्ष 2006 से 2013 तक निगरानी कांडों में सजायपता व्यक्तियों की सूची :-**

| वाद की संख्या | केस नं० | विषय   | सजा   | सजा की तिथि | संबंधित विभाग       | वादों में शामिल लोक सेवक एवं गैर लोक सेवकों की संख्या | अभ्युक्ति |
|---------------|---------|--|---|-------------|---------------------|---|-----------|
| 1             | 2       | 3  | 4   | 5           | 6                   | 7   | 8         |
| 1             | 29/88   | मो० हसन इमाम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कृषि विभाग                                    | एक वर्ष सजा, 1000/- रू० जुर्माना  | 08.06.2001  | कृषि विभाग          | 1   |           |
| 2             | 18/83   | शंकर दयाल, जन सेवक, पंचायती राज  | सजा   | 30.11.2003  | कृषि विभाग          | 2   |           |
| 3             | 05/08   | श्री रामवचन सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड फलका, कटिहार                         | धारा-7 में 1 वर्ष कारावास 3000/-रू० जुर्माना 13 (1) (डी) में 1 वर्ष कारावास 3000/-रू० जुर्माना                                | 11/12/2012  | कृषि विभाग          | 3   |           |
| 4             | 29/86   | 6) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रशाखा कृषि पदाधिकारी, लखिसराय                       | सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा   | 21-12-10    | कृषि विभाग          | 4   |           |
| 1             | 47/91   | श्री जितेन्द्र मोहन, कार्यालय सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना                       | दो वर्ष एवं 5000/-रू० जुर्माना  | 7/5/2010    | बिहार लोक सेवा आयोग | 1   |           |
| 1             | 01/83   | श्री रविभूषण प्रसाद एवं अन्य, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अचल, दरभंगा              | तीन वर्ष की सजा एवं जुर्माना की सजा   | 24-09-10    | भवन निर्माण विभाग   | 1   |           |
| 1             | 32/92   | बिरेन्द्र कुमार, अवर निबंधक, सहकारिता  | सजा   | 20.12.99    | सहकारिता            | 1   |           |
| 1             | 07/87   | महेश पाण्डेय, शिक्षा निरीक्षक, शिक्षा विभाग  | सजा   | 13.09.95    | शिक्षा विभाग        | 1   |           |
| 2             | 23/86   | श्री मुद्रीका राय प्रभाकर, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग, मध्य विद्यालय, बेलाउर भोजपुर | एक वर्ष एवं 1000/- रू० जुर्माना   | 26-06-07    | शिक्षा विभाग        | 2   |           |
| 3             | 01/96   | श्री रामजी सिंह, प्रधान लिपिक, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय, पटना              | एक वर्ष एवं 500/-रू० जुर्माना   | 29-11-08    | शिक्षा विभाग        | 3   |           |
| 4             | 33/07   | श्री ओम प्रकाश, प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी, कैमूर, भभूआ                          | धारा-7 में एक वर्ष एवं धारा-13 (1) (डी) में एक वर्ष छः महीना का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा में 5000-5000 रू० का जुर्माना | 24-02-11    | शिक्षा विभाग        | 4   |           |